भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 492
जिसका उत्तर बुधवार, 03 दिसम्बर, 2025 को दिया जाएगा

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आवश्यक कंट्री-ऑफ-ओरिजिन फिल्टर

492. श्री बी. मणिक्कम टैगोरः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पैकेट बंद कमोडिटीज़ के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आवश्यक कंट्री-ऑफ-ओरिजिन फिल्टर का औपचारिक रूप से प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उपभोक्ता पारदर्शिता की अनदेखी किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रस्तावित मसौदा विधिक मापविज्ञान (पैक में रखी वस्तुएं) (द्वितीय) संशोधन नियम, 2025, आयातित उत्पादों के लिए कंट्री-ऑफ-ओरिजिन प्रदर्शित करना आवश्यक करने के लिए 2011 के विनियमों में संशोधन करता है और यदि हां, तो इसके पीछे तर्क सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ऑनलाइन खरीदारों को उत्पाद की उत्पत्ति के बारे में विवरण को छिपाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि किस प्रकार ये फिल्टर उपभोक्ताओं को सुविचारित ढंग से क्रय निर्णय लेने में सक्षम बनाएंगे और यदि हां, तो उक्त फिल्टर द्वारा अपेक्षित लाभ क्या हैं और यदि नहीं, तो उपभोक्ता सशक्तीकरण की उपेक्षा किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या प्रस्तावित फ़िल्टर भारतीय उत्पादों को अधिक लोकप्रिय बनाकर 'आत्मनिर्भर भारत' और 'वोकल फ़ॉर लोकल' को बढ़ावा देने के प्रयोजन से बनाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो घरेलू मैन्युफ़ैक्चरिंग को नज़रअंदाज़ करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क से ङ): विधिक मापविज्ञान (पैकेबंद वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 6(10) के अंतर्गत, ई-कॉमर्स संस्थाओं के लिए डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर निम्नलिखित घोषणाएँ प्रदर्शित करना अनिवार्य है: विनिर्माता/पैकर/आयातकर्ता का नाम और पता; मूल देश; वस्तु का सामान्य या जेनेरिक नाम; शुद्ध मात्रा; मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो सकने वाली वस्तुओं के लिए सर्वोत्तम उपयोग की तिथि, माह और वर्ष एवं एमआरपी। इस आवश्यकता का उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं को संसूचित खरीदारी निर्णय लेने में सक्षम बनाना है।

उपभोक्ता सशक्तीकरण को आगे बढ़ाने के लिए, विभाग ने मसौदा विधिक मापविज्ञान (पैकेबंद वस्तुएं) (द्वितीय) संशोधन नियम, 2025 को अंतिम रूप दे दिया है, जिसमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आयातित उत्पादों की आसान पहचान और तुलना की सुविधा प्रदान करके अधिक उपभोक्ता-अनुकूल तरीके से मूल देश का प्रदर्शन करने का प्रावधान है।

*****